189

संख्या 1747 /XVIII(II)/2013–03(29)/2012

प्रेषक,

भास्करानन्द
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 20 अगस्त, 2013

विषयः– रक्षा विभाग, भारत सरकार को जनपद देहरादून में तहसील विकासनगर के अंतर्गत ग्राम कोल्हूपानी, परगना पछवादून में 5.00 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र सं0–715/12–ए0–68(2011–14) डी0एल0आर0सी0 दिनांक–18.05.2013 एवं पत्र संख्या–मेमो/12 ए–67(2011–14)/डी0एल0आर0सी0 दिनांक–17.08.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–258/16(1)/73–राजस्व–1 दिनांक–09.05.1984 एवं संशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–280–रा0–1 दिनांक–12.09.1997 में शिथिलता प्रदान करते हुए श्री राज्यपाल, रक्षा विभाग, भारत सरकार के उपयोग हेतु ग्राम कोल्हूपानी, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून में आपके द्वारा संस्तुत/अनुमोदित भूखण्ड संख्या–447मि0 क्षे0 5.00 एकड़ भूमि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुसार रक्षा विभाग, भारत सरकार को निःशुल्क आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिये किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गई है।

3– प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति या संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार रक्षा विभाग को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से तीन वर्षों की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

4– प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता रक्षा विभाग को नहीं रह जायेगी तो भूमि, निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी जिसके लिये कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

5– यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो तथा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त होकर निहित हो जायेगी। 2

6– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

7– प्रश्नगत भूमि आंवटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8– इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या– 1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या– 3109 / 2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9– उपरोक्त शर्ते बिन्दु संख्या– 1–8 में से किसी भी शर्त के उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिये कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश के शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी यथा समय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0प0संख्या-1147/समदिनांकित/2013

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
7. रक्षा विभाग, भारत सरकार, उत्तराखण्ड सब एरिया मुख्यालय, देहरादून।
8. निर्देशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. प्रभारी, मीडिया केन्द्र, सचिवालय, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
अनुसचिव।